न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(54)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3293-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-1-16 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील राजपुर जिला बड़वानी प्रकरण क्रमांक 7/अ-12/2015-15.

---

1. सोहराब पिता आबिद खान
2. जालसाब पिता आबिद खान
   निवासीगण राजपुर
   तहसील राजपुर जिला बड़वानी
3. शाहिद खान पिता जाहिद खान
   निवासी सेंधवा
   तहसील सेंधवा जिला बड़वानी .....आवेदकगण

विरूद्ध

विजय कुमार पिता होमदेव सुतार (करील)
निवासी पलसूद रोड राजपुर जिला बड़वानी .....अनावेदक

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील राजपुर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-1-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम राजपुर स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 300/8 रकबा 0.819 के सीमांकन कराये जाने हेतु तहसीलदार, राजपुर जिला बड़वानी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ-12/2015-16 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक राजपुर द्वारा दिनांक 8-1-2016 को सीमांकन किया जाकर, तहसीलदार के समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 23-1-16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 129 के अनुसार आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषकों को सीमांकन की कोई सूचना दिये बिना एवं सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि कानूनन अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि पूर्व स्टेट के समय नपती के पत्थर (चांदे) लगे हुए थे, किन्तु उक्त चांदे को न ढूढ़ते हुए सीमांकन किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है, जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 124 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों का बिना पालन किये आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 300/2, 300/6, 300/7 एवं 300/8 रकबा 8.98 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । ऐसी स्थिति में उक्त समस्त भूमियों का सीमांकन किया जाना चाहिए था, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा मात्र एक सर्वे क्रमांक 300/8 रकबा 0.819 का ही सीमांकन कर आवेदक पक्ष का अतिक्रमण दर्शाया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है, जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई ध्यान नहीं देने में गंभीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक की भूमि के किस भाग पर आवेदकगण का अतिक्रमण पाया गया है, इसका कोई उल्लेख फील्ड बुक में नहीं किया गया है, अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन संदेहास्पद होने से निरस्त किये जाने योग्य है, किन्तु तहसीलदार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया है कि आवेदकगण के मकान आबादी में स्थित होकर 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के आस-पास कौन-कौन भूमिस्वामी होकर उनको सीमांकन के सूचना पत्र दिये गये हैं, इस संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु तहसीलदार इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर आदेश पारित किया गया है । अत: सीमांकन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2009 आर.एन. 161 (उच्च न्यायालय), 2016 (2) आर.एन. 31 (उच्च न्यायालय), 2014 आर.एन. 303 एवं 2016 (2) आर.एन. 24 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के समस्त पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र की तामील कराया जाकर, उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया है और सीमांकन के समय सोहराब अनुपस्थित था, किन्तु शेष आवेदकगण उपस्थित थे । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर सर्वे क्रमांक 300, 312, 311 के तीमेड़े को आधार मानकर इ.टी.एस.एम. मशीन द्वारा सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक के स्वत्व की भूमि पर आवेदक पक्ष का अवैध कब्जा पाया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन उचित है, जिसकी पुष्टि करने में तहसीलदार द्वारा कोई भूल नहीं की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट कि सीमांकन कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को विधिवत रूप से सूचना पत्र की तामील नहीं कराई गई है, जबकि सीमांकन कार्यवाही में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिशः सूचना पत्र की तामीली कराना आवश्यक है । सीमांकन की कार्यवाही केवल एक तिमेड़े को आधार मानकर किया गया है, जबकि राजस्व निरीक्षक को न्यूनतम तीन स्थायी चिन्हों को लेकर सीमांकन की कार्यवाही करना चाहिए थी । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना पत्र की तामील करायी जाकर, उनकी उपस्थिति में सीमांकन करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, राजपुर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-1-16 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में विधिवत सीमांकन किये जाने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर